## नोट्स



SAT 16

**Ques :-** विवाह के समय पतियों व पत्नियों की नीचे दिये गए आयु से प्रतीपगमन समीकरण ज्ञात कीजिए। तथा पत्नी की आयु 30 वर्ष होने पर पति की आयु अनुमानित कीजिए।

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पति की आयु - | 23 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 33 | 35 | 36 |
| पत्नि " | 18 | 20 | 22 | 27 | 21 | 29 | 27 | 29 | 28 | 29 |

Ans - $X = 0.034Y + 125.87$  $Y = 3.575X - 314.64$

# काल-श्रेणी TIME-SERIES

**अर्थ व परिभाषा :-** संख्यात्मक तथ्य जिनका संकलन समयांतर से किया गया है, काल श्रेणी का रूप ले लेते हैं। समय की इकाई वर्ष, मास, दिन या घंटे आदि मात्र एक विधि है।

SUN 17

**केने व कीपिंग :-** "समय पर आधारित समंक समूह काल-श्रेणी कहलाते हैं।"

## काल श्रेणी के अवयव / अंश / संघटक

काल श्रेणी पर पड़ने वाले प्रभावों को उनकी प्रकृति के आधार पर निम्न वर्ग में वर्गीकृत किया जा सकता है ये वर्गीकृत प्रभाव ही काल श्रेणी के अवयव अथवा संघटक कहलाते हैं

MON 18

### 1. उपनति या दीर्घकालीन प्रवृत्ति (Trend)

काल श्रेणी में दीर्घकाल (15 से 20 वर्ष) में हुए नियमित परिवर्तन अर्थात समयावधि में बढ़ने या घटने की आधारभूत प्रवृत्ति को उपनति कहा जाता है।
उपनति या तो एक सीधी रेखा ले सकती है अथवा मुजाब से अवतल या उत्तल होगी।

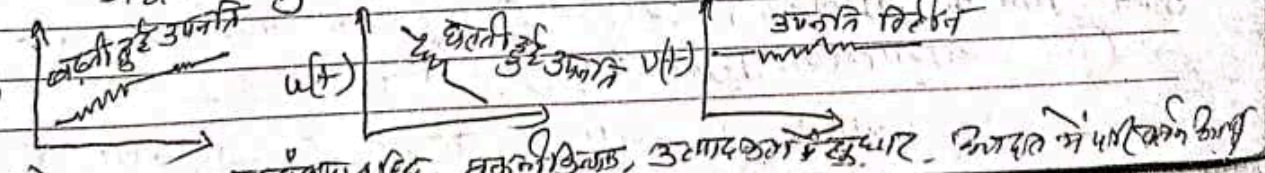




उपनति के कारण - जनसंख्या वृद्धि, तकनीकी विकास, उत्पादकता में सुधार, आदत में परिवर्तन आदि

TUE 19 (2) सामयिक परिवर्तन (Seasonal variation)

काल श्रेणी के वे परिवर्तन जो चक्रीय प्रकार के होते है जो वर्ष के अंदर ही पूरे हो जाते हैं। सामयिक परिवर्तन

कारण – साम० परि० के दो कारण है

(a) प्राकृतिक कारण – वर्षा, मौसम, परिवर्तन आदि

(b) मानव निर्मित परंपराओं के कारण :- त्यौहार, मेले, रीतिरिवाज, विद्यालयों का कार्यक्रम आदि।

जैसे – फसल आने पर कीमत कम, ऊनी कपड़े दिस. जन. में

WED 20 (3) चक्रीय परिवर्तन (Cyclical variations)

व्यापार चक्रों से उत्पन्न परिवर्तन जिनकी अवधि एक वर्ष से अधिक (प्राय: 7 से 11 वर्ष तक) है तथा जिनका क्रम बहुत कुछ नियमित रहता है। चक्रीय परि० कहलाते है।

व्यापार चक्रों की चार अवस्थाएं है –

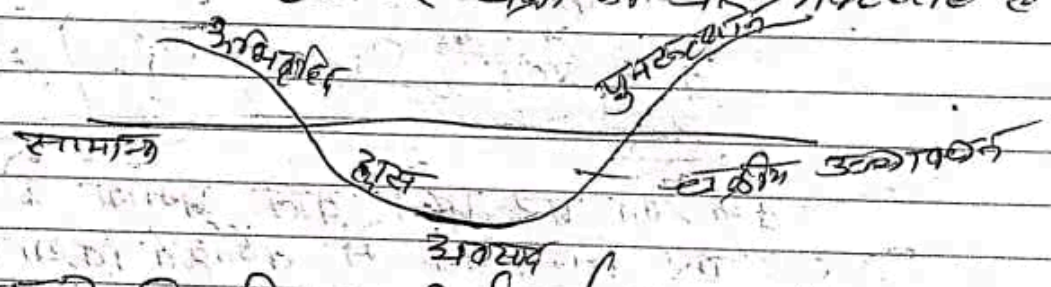




THU 21 (4) दैव या अनियमित परिवर्तन (Irregular variations)

कभी कभी कालश्रेणी में अनियमित एवं अप्रत्याशित परिवर्तन होते रहते हैं जिसके कारण मूल्यों में असामान्य रूप से वृद्धि या ह्रास हो जाता है, अनियमित या दैव परिवर्तन कहलाते है।

ये आकस्मिक कारणों जैसे – तकनीकि विकास, युद्ध, बाढ़, सूखा, भूकम्प, औद्योगिक क्रांति, कारखाने में आगजनी आदि से उत्पन्न होते हैं।

काल श्रेणी के गणितीय निदर्श :- (1) गुणात्मक निदर्श $Y = T \times S \times C \times I$

(2) योगात्मक निदर्श – $Y = T + S + C + I$

Y = मूल समंक, T - उपनति, S सा. परि. C चक्रीय परि. I दैव परि.

FRI 22

# चल माध्य (गतिमान माध्य) से उपनति ज्ञात करना

विधि :- माना कि किसी श्रेणी के पद मूल्य $V_1, V_2, V_3, V_4, V_5, V_6, V_7, V_8, V_9$ हैं। माना कि हमें 3 वर्षीय चलमाध्य निकालने हैं तो –

$$\text{पहला माध्य} = \frac{V_1+V_2+V_3}{3}$$ पहले तीन पद मूल्यों का माध्य

$$\text{दूसरा माध्य} = \frac{V_2+V_3+V_4}{3}$$ पहले पद को छोड़कर एक अगला पद मूल्य शामिल करके माध्य

SAT 23

$$\text{तीसरा माध्य} = \frac{V_3+V_4+V_5}{3}$$ — " —

$$\text{अंतिम माध्य} = \frac{V_7+V_8+V_9}{3}$$ अंतिम पदमूल्य के पहुँचने तक।

प्रक्रिया विधि :- (1) सर्वप्रथम प्रश्न में पूछे अनुसार, 2, 3, 4, 5, या 7 वर्षीय पद मूल्यों का योग ज्ञात कर लेते हैं। योग ज्ञात करते समय ऊपर से क्रमशः एक एक पद छोड़ते जाते हैं, अंतिम जोड़े तक ही योग करते हैं। योग को बीच (मध्य) में लिखा जाता है।

SUN 24

(2) प्रत्येक योग को संबंधित वर्ष की संख्या से भाग देकर उपनति मूल्य ज्ञात कर लेते हैं।

(3) ग्राफ पर प्रांकित करते समय समयावधि को रेखा OX अक्ष पर तथा मूल पद एवं उपनति मूल्यों को OY अक्ष पर प्रदर्शित करते हैं।

(4) ग्राफ पर मूल समंक को सीधी रेखा से तथा उपनति को खण्डित (टूटी हुई) रेखा से प्रदर्शित करते हैं।

नोट्स

APRIL 2001

SAT 7

# निर्देशांक (सूचकांक) Index Number

परिभाषा :- निर्देशांक दो समयावधि या दो स्थानों में किसी तथ्य (कीमत, मात्रा, उत्पादन) आदि में हुए परिवर्तन का सापेक्ष माप है। उदा० के लिए - 'महंगाई बढ़ गई है' 'रूपये का मूल्य घट रहा है' आदि।

माना लो भारत में 1993 में गेहूं का भाव 400 रू० प्रति क्विं. था 1994 में - 440 रू० / क्वि- हो गया तो

1993 की तुलना में 1994 में कीमत $= \frac{440}{400} \times 100 \; (= 110)$

अर्थात गेहूं के भाव में 10% की वृद्धि हो गई है।

SUN 8

निर्देशांक के लिए दो वर्ष की जरूरत होती है।

आधार वर्ष :- वह वर्ष जिसके सापेक्ष तुलना की जाती है।

चालू वर्ष :- वह वर्ष जिसकी कीमतों की तुलना की जाती है।

निर्देशांक के प्रकार :

(1) विभिन्न दरों के आधार पर

(a) कीमतों के सूचकांक

(i) थोक कीमत सूचकांक

(ii) फुटकर कीमत या जीवन निर्वाह या उपभोक्ता कीमत सूचकांक

MON 9

(b) भौतिक मात्रा के सूचकांक

(i) उपभोग (ii) औद्योगिक उत्पादन (iii) निर्यात सूचकांक

(2) भार के आधार पर

(i) अभारित या सरल सूचकांक

(ii) भारित सूचकांक

(1) सरल या अभारित निर्देशांक निर्माण की विधियाँ

दो विधियाँ हैं :-

(a) सरल समूहीकरण विधि :- इस विधि द्वारा सरल सूचकांक ज्ञात करने हेतु निम्न प्रक्रिया किया जाता है -

ACG.
PRINCIPAL

TUE 10 (1) आधार वर्ष में विभिन्न वस्तुओं की कीमतों का योग ($\Sigma P_0$) ज्ञात कर लिया जाता है।

(2) चालू वर्ष में विभिन्न वस्तुओं की कीमतों का योग ($\Sigma P_1$) प्राप्त कर लिया जाता है।

(3) चालू वर्ष के योग में ($\Sigma P_1$) आधार वर्ष के योग $\Sigma P_0$ का भाग देकर 100 का गुणा कर दिया जाता है।

(4) निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है।

$$P_{01} = \frac{\Sigma P_1}{\Sigma P_0} \times 100$$

WED 11 $P_{01}$ = आधार वर्ष के सापेक्ष चालू वर्ष का सूचकांक

$\Sigma P_1$ = चालू वर्ष के विभिन्न वस्तुओं के कीमतों का योग

$\Sigma P_0$ = आधार वर्ष

Example :- निम्न आँकड़ो की सहायता से 1985 को आधार मानकर सरल समूही विधि से 1990 का सूचकांक ज्ञात कीजिए

| वस्तु | क | ख | ग | घ | ङ |
|---|---|---|---|---|---|
| कीमत 1985 | 50 | 40 | 10 | 5 | 2 |
| कीमत 1990 | 80 | 60 | 20 | 10 | 6 |

हल :-

THU 12

| वस्तु | कीमत 1985 ($P_0$) | कीमत 1990 ($P_1$) |
|---|---|---|
| क | 50 | 80 |
| ख | 40 | 60 |
| ग | 10 | 20 |
| घ | 5 | 10 |
| ङ | 2 | 6 |
| | $\Sigma P_0 = 107$ | $\Sigma P_1 = 176$ |

$$P_{01} = \frac{\Sigma P_1}{\Sigma P_0} \times 100 \Rightarrow \frac{176}{107} \times 100$$

$$P_{01} = 164.48$$

अर्थात 1985 के सापेक्ष 1990 के कीमतों में 64.48 % की वृद्धि हुई है।

APRIL 2001

FRI 13 Que :- 1990 को आधार मानकर 1995 का सूचकांक बनाइये।

| वस्तु | A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य 1990 - | 80 | 100 | 180 | 160 | 150 | 230 | 107 | } Ans 112 |
| 1995 | 90 | 110 | 200 | 190 | 160 | 260 | 190 | |

Que (2) निम्न आँकड़ो से 1990 को आधार मानकर 1997 का सूचकांक बनाइये।

| वस्तु – | गेहूँ | चावल | चना | दाल | घी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 – | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | } Ans 124 |
| 1997 – | 150 | 180 | 200 | 220 | 270 | |

SAT 14 (b) सरल कीमत अनुपात माध्य विधि :-

(1) सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु का कीमत अनुपात (R) निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है।

$$\text{कीमत अनुपात } (R) = \frac{P_1}{P_0} \times 100$$

$P_1$ = चालू वर्ष की कीमत $P_0$ = आधार वर्ष की कीमत

(2) निकाले गए कीमत अनुपात का योग $(\Sigma \frac{P_1}{P_0} \times 100)$ ज्ञात कर लिया जाता है।

(3) उक्त योग को $(\Sigma R)$ वस्तुओं की संख्या $(N)$ से भाग दे दिया जाता है।

SUN 15 (4) निम्न सूत्र $P_{01} = \frac{\Sigma\left(\frac{P_1}{P_0}\right) \times 100}{N}$ का प्रयोग किया जाता है

सूत्र में $\Sigma \frac{P_1}{P_0} \times 100$ = मूल्यानुपात का योग, $N$ = वस्तुओं की संख्या

उदा० :- 1982 को आधार मानकर 1987 का सूचकांक बनाइये।

हल :-

| वस्तु | मूल्य 1982 ($P_0$) | मूल्य 1987 ($P_1$) | मूल्यानुपात $R = \frac{P_1}{P_0} \times 100$ |
|---|---|---|---|
| A | 12 | 15 | $\frac{15}{12} \times 100 = 125$ |
| B | 25 | 20 | $\frac{20}{25} \times 100 = 80$ |
| C | 10 | 12 | $\frac{12}{10} \times 100 = 120$ |
| D | 5 | 10 | $\frac{10}{5} \times 100 = 200$ |
| E | 6 | 15 | $\frac{15}{6} \times 100 = 250$ |
| N = 5 | | | $\Sigma R = 775$ |

APRIL 2001

FRI 13 Que :- 1990 को आधार मानकर 1995 का सूचकांक बनाइये।

| वस्तु | A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य 1990 - | 80 | 100 | 180 | 160 | 150 | 230 | 100 | } ANS 112 |
| 1995 | 90 | 110 | 200 | 190 | 160 | 260 | 190 | |

Que (2) निम्न आँकड़ो से 1990 को आधार मानकर 1997 का सूचकांक बनाइये।

| वस्तु - | गेहूँ | चावल | चना | दाल | घी | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 - | 100 | 120 | 160 | 200 | 240 | } ANS 124 |
| 1997 - | 150 | 180 | 200 | 220 | 270 | |

SAT 14 (B) सरल कीमत अनुपात माध्य विधि :-

(1) सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु का कीमत अनुपात (R) निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है।

कीमत अनुपात $(R) = \frac{P_1}{P_0} \times 100$

$P_1$ = चालू वर्ष की कीमत $P_0$ = आधार वर्ष की कीमत

(2) निकाले गए कीमत अनुपात का योग $(\Sigma \frac{P_1}{P_0} \times 100)$ ज्ञात कर लिया जाता है।

(3) उक्त योग को $(\Sigma R)$ वस्तुओं की संख्या $(N)$ से भाग दे दिया जाता है।

SUN 15 (4) निम्न सूत्र $P_{01} = \frac{\Sigma\left(\frac{P_1}{P_0}\right) \times 100}{N}$ का प्रयोग किया जाता है

सूत्र में $\Sigma \frac{P_1}{P_0} \times 100$ = मूल्यानुपात का योग $N$ = वस्तुओं की संख्या

उदा :- 1982 को आधार मानकर 1987 का सूचकांक बनाइये।

हल :-

| वस्तु | मूल्य 1982 $(P_0)$ | मूल्य 1987 $(P_1)$ | मूल्यानुपात $R = \frac{P_1}{P_0} \times 100$ |
|---|---|---|---|
| A | 12 | 15 | $\frac{15}{12} \times 100 = 125$ |
| B | 25 | 20 | $\frac{20}{25} \times 100 = 80$ |
| C | 10 | 12 | $12/10 \times 100 = 120$ |
| D | 5 | 10 | $10/5 \times 100 = 200$ |
| E | 6 | 15 | $15/6 \times 100 = 250$ |
| $N = 5$ | | | $ER = 775$ |

MON16 1982 आधार वर्ष का सूचकांक = 100

1987 का कीमत सूचकांक $P_{01} = \frac{\Sigma\left(\frac{P_1}{P_0}\right) \times 100}{N}$ या $\frac{\Sigma R}{N}$

$P_{01} = \frac{775}{5} = 155$

अत: 1982 की तुलना में 1987 में कीमतों में 55% की वृद्धि हुई है।

Que:- मूल्यानुपात विधि से साधारण निर्देशांक बनाइये।

| वस्तु का नाम | इकाई | 1989 (रु०) मूल्य | 1990 (रु०) मूल्य |
|---|---|---|---|
| गेहूं | क्विंटल | 200.00 | 300.00 |
| चावल | Kg | 4.00 | 5.00 |
| कपड़ा | मीटर | 6.00 | 9.00 |
| पेट्रोल | लीटर | 10.00 | 12.00 |
| बिजली | किलोवाट | 1.50 | 1.50 |
| मकान भाड़ा | प्रति कमरा | 30.00 | 45.00 |

TUE17

Ans 132.47

Que:- निम्न समंकों से औसत मूल्य को आधार मानकर कीमत सूचकांक बनाइये।

| वर्ष | गेहूं | दर प्रति रुपया कपास | तेल |
|---|---|---|---|
| 1985 | 2 कि०ग्रा | 5 कि०ग्रा | 3.333 कि०ग्रा |
| 1988 | 1 कि०ग्रा | 2.5 कि०ग्रा | 2 कि०ग्रा |
| 1991 | 0.833 कि०ग्रा | 1.667 कि०ग्रा | 1 कि०ग्रा |

WED18

हल:- यहाँ पर दर कि०ग्रा० प्रति रुपया दी हुई है अत: दर को रुपया प्रति कि०ग्रा० में बदलना होगा। तत्पश्चात औसत कीमत ज्ञात करेंगे।
रुo - 1/2, 1/1, 1/.833 आदि

| वर्ष | गेहूं | रुपया प्रति कि०ग्राम कपास | तेल |
|---|---|---|---|
| 1985 $P_1$ | 0.5 | 0.2 | 0.3 |
| 1988 $P_2$ | 1.0 | 0.4 | 0.5 |
| 1991 $P_3$ | 1.2 | 0.6 | 1.0 |
| योग | 2.7 | 1.2 | 1.8 |
| औसत मूल्य | 0.9 | 0.4 | 0.6 |

अन्तर्राष्ट्रीय मानव कानून एवं पर्यावरण
(International Human Law & Environment)

अन्तर्राष्ट्रीय मानव कानून का उद्देश्य युद्ध के समय नागरिक जनसंख्या को सुरक्षित रखना तथा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना है जिससे उसका अस्तित्व बना रहे। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये जरूरी है कि प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित किया जावे जिसके बिना मानव जीवन असम्भव है। अ० मा० कानून पर्यावरण का संरक्षण दो तरीकों से करता है - पहला सामान्य प्रावधानों का निर्माण करके और दूसरा कुछ अतिरिक्त और विशिष्ट प्रावधानों द्वारा। सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावरण पर युद्ध स्थिति की दशाओं को लागू करना है। अर्थात युद्ध के समय जो नियम लागू होते हैं पर्यावरण के संबंध में उन नियमों को लागू करना। सामान्यतः पर्यावरण की प्रकृति नागरिक होती है इसलिये उस पर आक्रमण नहीं किया जा सकता, जब तक कि ऐसा करना सैन्य उद्देश्य ना हो। इसके अतिरिक्त पर्यावरण विनाश को सैन्य उद्देश्य के अनुपात में गिना जाता है। इस प्रकार यदि किसी सेना को जीतने के लिये पर्यावरण का विनाश करना आवश्यक हो जावे तो यह विनाश सेना के उद्देश्य के अनुपात में होना चाहिये न कि उससे अधिक।

अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के मसौदा में भावी युद्ध की स्थिति में पद्धति और उपकरणों पर विशेष प्रावधान किये गये हैं। ये प्रावधान भविष्य में होने वाले युद्ध या आसन्न युद्ध पर लागू होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले दीर्घकालीन नुकसान को रोकना इन प्रावधानों का उद्देश्य है। अन्तर्राष्ट्रीय संधियों का यह मसौदा पर्यावरण के ऊपर बदला लेने के लिये होने वाले आक्रमण पर भी प्रतिबंध लगाता है।

1998 की रोमन विधि द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की गई है जिसमें सामान्य अनुपात के सिद्धान्त का उल्लंघन या पर्यावरण विनाश के फैलाव, दीर्घावधि और गंभीरता

Date: / / Page
WILLMAN

...ष्ट्रीय राजनीति का नवउदारवादी सिद्धान्त :- जे सी ओहरी
(Neo-Liberalism)

...उदारवाद, इसे उदारवादी संस्थानिकवाद (Liberal Institutionalism) भी कहते हैं।

...उदारवादी या उदारवादी संस्थानिकवाद के रचयिता -
...ट केयूहेन, जोसेफ नाईजूनियर, रार्बट एक्सलरोड, जान म्युलर
फ्रांसिस फुकयामा

...ह → शास्त्रीय उदारवाद को नये विकास संदर्भों में संशोधित किया
...चाहिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नये प्रमुख चार
...तन देखने को मिलते हैं।

...राज्यों तथा गैर-सरकारी अभिकर्ताओं के बीच बढ़ते हुए सम्पर्क
...अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की नयी कार्यसूची जहाँ उच्च एवं हीन राजनीति
...कोई अंतर नहीं है।
...ष्ट्रीय सीमाओं से परे अभिकर्ताओं के बीच अंतःक्रियाओं के लिए
...हुत परिवर्तनों की मान्यता
...जकला के यंत्र के रूप में सैनिक बल की कुशलता का पतन

- इस कारण विशेषताएं
नवउदारवादी इस प्रश्न का उत्तर खोजते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय
...व्यवस्था अराजकपूर्ण होते हुए राज्य सहयोग का मार्ग क्यों
चुनते हैं।
राज्य की सुरक्षा अनिवार्य है, इस हेतु संस्थाओं की आवश्यकता
होती है।
...ये ऐसी विदेश नीति पर बल देते हैं, जो मुक्त व्यापार व खुले
...बाजार को प्रोत्साहित करती है तथा पाश्चात्य विकसित देशों
उनकी लोकप्रिय संस्थाओं का सार्वभौमिकरण करने का
प्रयास करती है।

नवउदारवाद की आलोचना
- नवउदारवादी स्वप्नलोकीय सिद्धान्तशास्त्रियों की तरह हैं।
- नवउदारवादी विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में राज्यों की अंतर्निर्भरता
पर ऊँची आशाएं केन्द्रित करते हैं।
- नवउदारवादी भूमंडलीकरण व उदारीकरण की प्रवृत्तियों

PRI
Govt.R.P.S.
Baikunthp

की सराहना करते हैं।

५- नवउदारवाद एक मानपरक सिद्धांत है क्योंकि यह मूल्यों या मानकों पर संकेत करता है।

→ डेविड बेल्डविन के अनुसार नवउदारवाद के चार

A- वाणिज्यिक उदारवाद B- गणतंत्रीय उदा

C- समाजवैज्ञानिक उदारवाद D- उदारवादी संस्था

→ उदारवाद व नवउदारवाद के विविध रूप तथा अर्थ

1- समाजवैज्ञानिक उदारवाद (Sociological Liber

अंतर्राष्ट्रीय संबंध मात्र राष्ट्रीय सरकारों के बीच का अध्ययन नहीं है इसमें निजी व्यक्तियों समूह के संबंध भी समाहित हैं। राज्यों के बीच संबंध लोगों के परस्पर स्वतंत्र संबंध अपेक्षाकृत अधिक पूर्ण होते हैं, क्योंकि राज्य एकाकिक होते हैं। एक दूसरे से भिन्न नहीं होते या एक दूसरे से यदि विश्व में इतनी बड़ी संख्या में परा-राष्ट्रीय जाये तो वह बहुत शांतिपूर्ण होगा।

समर्थक - जेम्स रोजिनू, रिचर्ड कावडेन

2- अंतः निर्भरतापूर्ण उदारवाद - (Interdependence Liberalism) - आधुनिकीकरण राज्यों के बीच के स्तर व सोच को बढ़ाता है। जटिल परा-राष्ट्रीय अभिकर्तागण अधिकाधिक महत्वपूर्ण होते जाते हैं। सैनिक बल कम उपयोगी यन्त्र होता तथा कल्याण न की सुरक्षा-संबंधी राज्यों का लक्ष्य होता जा रहा है। इसका आशय है सहयोगपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों वाला विश्व।

समर्थक - मैनेट्ठ हास, रावर्ट्र कियो हेन, जोसफ नाय रिचर्ड रोजक्रेन्स

PRINCIPAL

## अन्तर्राष्ट्रीय मानव कानून एवं पर्यावरण
(International Human Law & Environment)

अन्तर्राष्ट्रीय मानव कानून का उद्देश्य युद्ध के समय नागरिक जनसंख्या को सुरक्षित रखना तथा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना है जिससे उनका अस्तित्व बना रहे। इसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिये जरूरी है कि प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षित किया जाये जिसके बिना मानव जीवन असम्भव है। अ० मा० कानून पर्यावरण का संरक्षण दो तरीकों से करता है - पहला सामान्य प्रावधानों का निर्माण करके और दूसरा कुछ अतिरिक्त और विशिष्ट प्रावधानों द्वारा। सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावरण पर युद्ध स्थिति की दशाओं को लागू करना है। अर्थात युद्ध के समय जो नियम लागू होते हैं पर्यावरण के संबंध में उन नियमों को लागू करना। सामान्यतः पर्यावरण की प्रकृति नागरिक होती है इसलिये उस पर आक्रमण नहीं किया जा सकता, जब तक कि ऐसा करना सैन्य उद्देश्य न हो। इसके अतिरिक्त पर्यावरण विनाश को सैन्य उद्देश्य के अनुपात में गिना जाता है। इस प्रकार यदि किसी सेना को जीतने के लिये पर्यावरण का विनाश करना आवश्यक हो जाये तो यह विनाश सेना के उद्देश्य के अनुपात में होना चाहिये न कि उससे अधिक।

अन्तर्राष्ट्रीय संधियों के प्रारूप में भावी युद्ध की स्थिति में पद्धति और उपकरणों पर विशेष प्रावधान किये गये हैं। ये प्रावधान भविष्य में होने वाले युद्ध या आसन्न युद्ध पर लागू होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में होने वाले दीर्घकालीन नुकसान को रोकना इन प्रावधानों का उद्देश्य है। अन्तर्राष्ट्रीय संधियों का यह प्रारूप पर्यावरण के ऊपर बदला लेने के लिये होने वाले आक्रमण पर भी प्रतिबंध लगाता है।

1998 की रोमन संधि द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट की स्थापना की गई है जिसमें सामान्य अनुपात के सिद्धान्त का उल्लंघन का पर्यावरण विनाश के फैलाव, दीर्घावधि और गंभीरता

के आधार पर उसे अपराध के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशिष्ट प्रावधान इसमें रखे हैं जिसके अन्तर्गत युद्ध के समय कृषि भूमि और पीने के पानी को प्रदूषित नहीं किया जा सकता क्योंकि नागरिक जनसंख्या के लिये हानिकारक होगा। इन प्रावधानों स्पष्ट है कि नागरिकों के विरुद्ध जलस्रोतों का विनाश, एक हथियार के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जा सकता जल स्रोतों को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त करना या प्रदूषित करने से पूरे समुदाय के अस्तित्व और स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्परिणाम डालता है।

युद्ध या आक्रमण के दौरान प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा हेतु एवं पर्यावरण के प्रति विरोधी नजरिये की रोक के लिये एक सम्मेलन बुलाने की आवश्यकता पैदा हुई। 1976 में यह सम्मेलन ENMOD ( बुलाया गया। यह सम्मे सैन्य कार्यवाही की रोकथाम या पर्यावरणीय विकास के प्रति विरोधी तकनीकों की रोकथाम के लिये था। तकनीक के अन्तर्गत पृथ्वी की संरचना या संयोजन के बहुआयामी स्वरूप में प्राकृतिक प्रक्रिया को जानबूझ कर विकृत करना था। सम्मेलन में सम्मिलित विविध सदस्यों ने एक घोषणा को स्वीकार किया जिसमें पर्यावरण से काम निकालने या दोहन के अन्तर्गत विनाश के व्यापक फैलाव, दीर्घावधि तक बने रहने और गंभीर हानि जिसके कारण ~~विनाश~~ विभिन्न देशों और राष्ट्र में विनाश, हानि और नुकसान हो; शामिल किया गया ICRC में ~~युद्ध~~ यह सुनिश्चित किया गया कि सैन्य प्राधिकारी सैन्य कार्यवाही के दौरान पर्यावरण संरक्षण के प्रति जवाबदेह, संवेदनशील, जागरूक और आदर का रवैया अपनायेंगे। इन प्रावधानों का प्रभाव यह हुआ कि विभिन्न संगठनों ने अपनी अपनी बैठकें आयोजित की और सैन्य नियमों में मार्गदर्शिका तैयार करने एवं सैन्य क्रियाओं के समय पर्यावरण

संरक्षण के निर्देश सम्मिलित किये गये। ये मार्गदर्शिका 1994 में संयुक्त राष्ट्र की सामान्य सभा में प्रस्तुत किये गये जिसे स्वीकार करते हुए सभी राष्ट्रों से इन मार्गदर्शिका का पालन करने को कहा गया।

[illegible]

प्रथाओं एवं संधियों के विकास से कानून के क्षेत्र में व्यापक विकास हुआ है। ये विकास दो रूपों में दिखाई देता है। प्रथम, पर्यावरण संरक्षण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय कानून और द्वितीय युद्ध का अन्तर्राष्ट्रीय कानून या सैन्य संघर्षों का अन्तर्राष्ट्रीय कानून। पर्यावरण संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास 20वीं शताब्दी में हुआ जब युद्ध के अन्तर्राष्ट्रीय विधियों या सैन्य संघर्ष के अन्तर्राष्ट्रीय विधियों का उद्विकास कई देशों में होने लगा। किन्तु वर्तमान में यह विकास समान रूप से पर्यावरण संरक्षण में देखा जा सकता है। आज युद्ध के कानून में अनेक ऐसी सीमाओं का प्रावधान किया गया है जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरणीय प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। इनमें से कुछ सीमाओं की जड़ शेफर (Schafer) के 'पर्यावरणीय स्वीकार्यता' (environmental consideration) और पर्यावरणीय नैतिकता (environmental ethics) के इन कथनों से पैदा होती है। पर्यावरणीय नैतिकता का अस्तित्व कानून के उस क्षेत्र में विद्यमान है जो कि सामान्य दर्शन के अन्तर्गत आता है।

छद्म युद्ध के रूप में पर्यावरण पर हमला उचित नहीं माना जा सकता। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब सेना ने युद्ध के समय पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचाई तथा इसके अतिरिक्त पर्यावरण के प्राकृतिक स्रोतों को नुकसान पहुंचाया। वियतनाम में युद्ध के द्वारा पर्यावरण की व्यापक हानि इसका उदाहरण है। प्रत्येक समाज की आशा और भविष्य को पर्यावरण सुनिश्चित करता है। पर्यावरण का विनाश समाज का विनाश है। आज के समय युद्ध गंभीर तबाही वाले युद्ध में बदल चुके हैं, जिसमें मानवीय मूल्यों को व्यापक

रूप से कुचला जाता है। जेनेवा सम्मेलन में पारित किये प्रावधान जो कि युद्ध के समय पर्यावरण संरक्षण के संबं हैं, उनका भी गंभीर उल्लंघन आज युद्ध या सैन्य आक्र देखा जा सकता है। आज के जब कि कुछ देशों ने उ हथियारों की तकनीक उन्नत कर अधिक विध्वंसक हथिया लिये हैं, पर्यावरण के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न कर है। विध्वंसक हथियार और पर्यावरण के प्रति उदासीनता के विश्व में गंभीर दशा आना जा सकता है। इस लि यह आवश्यक है कि अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों को समझा जाये जिससे युद्ध के तरीकों एवं पद्धति प्रभावित एवं निर्देशि होते हैं।

पर्यावरण संरक्षण का अन्तर्राष्ट्रीय कानून

पर्यावरण संबंधी विवादों पर अन्तर्राष्ट्रीय पंचाट न्यायिक निर्णयों ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धान्तों को उप कराया है। निम्नांकित मामलों में अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानूनों स्थापित करने में सहयोग मिला है –

(1) ट्रेल स्मेल्टर पंचाट में यह निर्णय दिया गया कि किस राज्य को यह अधिकार नहीं है कि वह अपनी भौगोलिक सीम उपयोग करने की अनुमति दूसरे किसी को दे जो उ सीमा के भीतर क्षति (पर्यावरण की) पहुँचा सकता है।

(2) लेक लेनॉक्स मामले में दूसरा महत्त्वपूर्ण निर्णय सामने आ जिसमें भूमिगत जल के उचित उपयोग के सिद्धान्त को मान्य किया गया। इस मामले में पंचाट ने निर्णीत किया कि भूमि पर रहने वाले राज्य नीचे बहने वाली नदियों के ज में न या उसकी प्राकृतिक दशा में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं सकते जिससे निम्न भूमि पर रहने वाले राज्य को कोई क्षति

(3) जब कई देशों की सीमा आपस में लगती है तब प्रत्येक का यह दायित्व है कि ऐसा कोई औद्योगिक अपशिष्ट पैदा करे जो सीमापार देशों में क्षति पहुँचा सकता है। इस मामले में

ने यह शिकायत की थी कि उसकी सीमा के नजदीक दो अमेरिकी औद्योगिक प्लांट से पैदा हुए दुर्गंध अपशिष्ट से उसकी सीमा के भीतर पर्यावरण को क्षति पहुँच रही है।

(4) Cosmos 945 केस में यह निर्णय दिया गया कि USSR को बंदोबस्त करार के अन्तर्गत कनाडा को मुआवजा दे जो कि USSR द्वारा कनाडा में प्रदूषण और विशिष्ट रूप से सीमापार प्रदूषण फैलाया गया है।

(5) Nuclear Weapon Case में यह निर्णय दिया गया कि परमाणु हथियारों के उत्पादन और प्रकृति में अन्तर्राष्ट्रीय मानव कानून लागू होते हैं। इन मानव कानून में (1) जन संहार पर प्रतिबंध (2) दास बनाना (3) प्रजातीय या नस्लीय भेदभाव एवं (4) शांति और युद्ध के समय एक व्यक्ति के रूप में मानव के बुनियादी अधिकार बने रहना चाहिये। इसी मामले में जस्टिस वीरामेन्त्री ने मानव कानून में निम्न तत्वों को रेखांकित किया — (1) अनावश्यक पीड़ा के कारणों पर प्रतिबंध (2) विजेता और विजित के बीच भेदभाव की समाप्ति (3) अनुपात का सिद्धान्त (4) युद्ध से बाहर रहने वाले राज्यों की स्थानीय संप्रभुता का सम्मान (5) जनसंहार पर प्रतिबंध और मानव के विरुद्ध अपराध पर प्रतिबंध (6) पर्यावरण के विरुद्ध गंभीर क्षति पर प्रतिबंध, तथा (7) मानवाधिकार कानून।

इस प्रकार मानवतावादी कानून के सिद्धान्त को 'Cardinal' या बुनियादी सिद्धान्त के रूप में मान्य किया गया। तथा यह माना गया है कि — (1) नागरिक जनता की सुरक्षा एवं संरक्षण तथा नागरिक और सैन्य टारगेट में अलगाव होना चाहिए तथा (2) युद्ध रत समूहों पर अनावश्यक पीड़ा पहुँचाने के कार्यों की रोकथाम होना चाहिये। यह माना गया कि पर्यावरण मानवजीवन के लिये कोई अवरोध नहीं अपितु उसके अस्तित्व के लिये अनिवार्य है। इन सिद्धान्तों के पालन में राज्यों के पास असीमित स्वतंत्रता नहीं है कि वह परमाणु हथियारों के प्रकार और उपयोग का चयन कर सके। ऐसी सिद्धान्त पालन करने से मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी तथा स्वास्थ्य की दशा भी बेहतर

हो सकेगी, यहाँ तक कि अजन्मे बच्चों की पीढ़ी के लिये भी। यह भी निर्णीत किया किया कि राज्यों के ऊपर नियम है कि वे अपने क्षेत्राधिकार एवं नियंत्रण वाले पर्यावरण से संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय कानून को लागू करें कहा कि सशस्त्र संघर्ष के दौरान भी आर्टिकल 35(3) आर्टिकल 55 में वर्णित विशेष प्रावधान जो कि पर्या संरक्षण से संबंधित हैं, लागू रहते हैं। इसके साथ साथ एक सामान्य अधिकार भी है जो पर्यावरण विनाश के दीर्घावधि तक विस्तृत और गंभीर पर्यावरणीय क्षति के पर्यावरण संरक्षण पर काम करते हैं। युद्ध के तरीकों पद्धति पर वे रोक लगाते हैं, चाहे युद्ध हो रहा हो या आशंका हो। ये प्राकृतिक पर्यावरण पर हमले का निषे है। इस प्रकार मानवीय कानूनों के सिद्धान्तों के उदय पर्यावरणीय कानून ने भारी योगदान दिया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण नीति

संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी पर्यावरण संरक्षण पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1972 में स्टॉकहोम में बुलाये गये में उस घोषणा को स्वीकार किया गया जो कि विश्व पर्याव के संरक्षण और संवर्धन के सिद्धान्तों से संबंधित था। इस बात पर जोर दिया गया कि पर्यावरण के बचाव के लिये असंवेदनीय अपशिष्ट कचरे का गैर निस्तारण या फैलाव अवांछनीय समुद्र विविध प्रजातीय जीवों का घर है अतः उसमें अपशिष्ट फेंकना समुद्र के पर्यावरण के विपरीत है। प्रत्येक राष्ट्र का यह कर्तव्य दायित्व है कि पर्यावरणीय क्षति पहुँचाने वाले कार्यों रोके। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को इसमें सहयोग के लिये कह है तथा पर्यावरण संरक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय या स्थानीय न्यायालय की मदद ले सकता है।

U.N. द्वारा 1972 में UNEP की स्थापना की गई जो कि मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था के अन्तर्गत पर्यावरणीय कार्य और समन्वय पर केंद्रित था। 1974 में संयुक्त राष्ट्र सामान्य सभा ने Charter of Economic Rights and Duties of States को स्वीकार करते हुए उसमें पर्यावरण संरक्षण के प्रावधानों को जोड़ दिया। इन प्रावधानों का सार यह था कि सभी राष्ट्रों का यह कर्तव्य है कि वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिये पर्यावरण का 'संरक्षण, बचाव और अभिवृद्धि' सुनिश्चित करे। इन प्रावधानों में यह भी कहा गया कि प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य है कि वह अपने क्षेत्राधिकार में पर्यावरण की रक्षा का कार्य और उसे क्षति पहुँचाने वाले कार्यों की रोकथाम करे। यह दायित्व दूसरे राष्ट्र के क्षेत्राधिकार वाले भाग पर भी लागू होंगे। 1982 में संयुक्त राष्ट्र महासंघ ने 'World Charter for Nature' में प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा गया था कि सभी राष्ट्र पर्यावरण का सम्मान उसकी दुर्लभ प्रजातियों के लिये और सभी जीवधारियों के निवास के कारण करे। उन्हें चाहिये कि पारिस्थितिकीतंत्र (Eco system) बनाये रखें, भूमि और जीव, समुद्र तट और जलवायु के मूल स्रोतों की देखभाल भलीभांति करे।

OECD एक बहुपक्षीय संगठन है जो कि U.N. से स्वतंत्र है, इसके द्वारा एक बेहद महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पास किया गया जो कि पर्यावरण से संबंधित था। इसके अन्तर्गत पर्यावरण नीति की उद्घोषणा, अन्तर्देशीय प्रदूषण से संबंधित सिद्धांत और प्रदूषक की देयता संबंधी सिद्धान्त थे।

उपर्युक्त के विश्लेषण से पर्यावरण संरक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के संबंध में निम्नांकित तथ्य सामने आते हैं —

① प्रत्येक राष्ट्र का दायित्व है कि वह प्रदूषण ~~नियंत्रण~~ नियंत्रित करे जिससे दूसरे राष्ट्रों को क्षति होती है।

# Income From Salary

| Provident fund | Employer's contribution | Employee's contribution |
|---|---|---|
| Statutory Provident fund (SPF) | Fully exempt | Exempt u/s 80C |
| Recognised Provident fund (RPF) | upto 12% exempt = Basic pay + DA( ) + Commission (fixed perc.) | Principle – 80C (✓) Interest – upto 9.5% |
| PPF | Fully taxable | P – 80C(✓) *1 *2 I = tax-free *1 > 500 p.m. *2 > 150000. |
| Unrecognized Provident fund (URPF) | Fully taxable on Refund | P → 80C (X) I → Taxable on refund |

House Rent Allowance (HRA)

Exempt u/s 10(13A) → Lowest

i) 40% / 50% of Salary (Basic + DA)

ii) Actual Amount Received

iii) Rent Paid − 10% of Salary (Basic + DA)

* 50% Metro cities

40% Other cities

Eg. Salary → 10,00,000 p.m.

* city → Delhi

- HRA received = 200000
- Rent paid = 240000

HRA Exempt −

i) 50% of 1000000 = 500000

ii) Actual Amt Received = 200000

iii) 240000 − 10% (1000000) = 140000 ↓ lowest exempt 140000

∴ Taxable HRA = 200000 − 140000

= 60000

If employee is living in his own house or in such house where he is not paying any kind of rent, then the whole amount of HRA will be taxable.

Allowances | Exempt u/s 10(14)

- Commutation / transport allowances — Max. ₹3200 p.m.
  (in case of blind / deaf & dumb or handicapped)
- Children Education allowance (Max. 2 children) — Max. ₹100 p.m. Per child
- Children Hostel allowance (Max 2 children) — Max. ₹300 p.m. Per child
- Underground allowance (भूमिगत) — Max. ₹800 p.m.
- Tribal Area Allowances — Max. ₹200 p.m.
- Allowance to employees of transport undertaking — Amt. received x 70% ↓ or 10000 p.m.

7) Travelling allowance or tour allowance
8) Conveyance
9) Uniform
10) Daily
1) Helper allowance (for office purpose)
2) Research / Academy allowance

} Exempt amount = Amount Spent.

## Entertainment allowances

→ Allowed to Government employees

→ Deduction: least of the following deducted from received entertainment allowances:

1) Actual amt.
2) Rs. 5000/- (Max. limit)
3) 1/5 of Basic Salary.

Perquisites → Substitute of allowance

Medical facility :- Employer to employee

Case 1 :

Treatment in India

a) Treatment in Govt. Recognised hospital
b) Treatment in Employer's own hospital
c) Treatment in Govt. Hospital
↓
fully exempt → Employee Perquisite value = NIL

otherwise
↓
fully taxable
↓
Amt incurred by employee
↓
will be include in employee salary.

Case 2 :

Treatment outside India

Benefit of Treatment
Benefit of Stay
↓
Exempt upto limit prescribed by RBI → If Gross total income (GTI) < 2L before including taxable travel exp.

Benefit of travel
↓
full exempt if GTI is upto ₹200000 otherwise it is fully taxable

# Valuation of Residential Accommodation

i) Government Employees -

A) Unfurnished :-

Amount determined as per Govt. Rules.

B) Furnished :-

i) Amount determined under (A) ...

ii) Add :- 10% p.a. of the cost of furniture or hire charge ...

...

iii) Less :- Amt. paid or payable by employee (if any) ...

Value of accommodation ...

ii) Others Employees :-

i) Valuation of Rent-free Accommodation

- Accomodation owned by employer in a city having a population
  - Exceeding 25L (15% of Salary)
  - Exceeding 10L but up to 25L (10% of Salary)
  - Upto 10L (7.5% of Salary)
- Accomodation hired by employer : Hire charges or 15% of Salary, whichever is less.

ii) Add :- 10% p.a. of the cost of furniture or hire charge.
iii) less :- Amt. paid or payable by employee.

Accommodation provided in Hotel
(Govt. & non-Govt. employee)

i) 15 days or less than 15 days - NIL
ii) more than 15 days.
24% of salary paid or payable for previous year (for the period during which such accommodation is provided) or Hotel room Rent (whichever is less) ...
Less :- Amt. recovered from employee ...
Taxable value of perquisite. ...

Accomodation at the time of transfer.
max. period 90 days to shift.
Till 90 days - value of perquisite shall be taken for one accommodation which has a lower value.
After 90 days - value of perquisite shall be charged for both such accomodation.

Accommodation provided at site.
Value of perquisite = NIL
if i) not exceeding 800 sq. feet iii) remote area.
ii) not permanent house.

## Valuation of use of Motor car
(taxable only for specified employee)

- **One car** (owned or hired by employer & provided to an employee for)
  - **Fully office use** → NIL
  - **Fully personal use** → Actual ex. on running and maintenance + Remuneration of Chauffeur + 10% p.a. Depreciation or hire charges
  - **Mixed use**
    - **Running and Maintenance borne by an employer**
      - Small car (>1.6L cc) → ₹1800 p.m.
      - Large car (<1.6Lcc) → ₹2400 p.m.
    - **Running & Maintenance borne by an employee**
      - Small car → ₹600 p.m.
      - Large car → ₹900 p.m.
- **More than one car** (private + official use)
  - One car → both use
  - Other car → personal use.

Chauffeur → ₹900 p.m.

∴ Car owned by employee
(Expenses borne by employee)

- fully office use
  - NIL
- fully personal use
  - = Amount reimbursed
- Mixed use
  - large car
    - Perquisite value = Amt. reimbursed
      (–) ₹2400 p.m.
      (–) ₹ 900 p.m. (driver)
  - Small car
    - = Amt. reimbursed
      (–) ₹ 1800 p.m.
      (–) ₹ 900 (chauff)

4G 1:41 ··· Vo) LTE

M.Sc MATHEMATICS

**MSC maths 3rd S...**

Aman, Sarita Yadav (b., Shi...

~ ❣ SOLID AJ ❣ +91 6264 938 600

Mam ka complex ka notes kiske pass h

Manish ke pass hai.

Maan kare to ye video se deka lena (Hadamard's Factorisation Theorem):- https://youtu.be/dusgmEUO7Y8

7:50 PM

~ khushabu khan +91 93007 01661

Mere pss koi kisi bi subject ka notes nhi h

7:54 PM

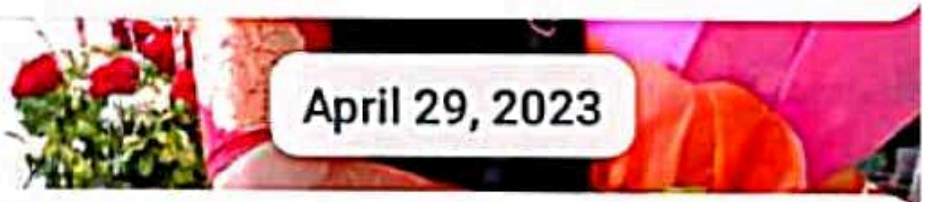

April 29, 2023

SS

Shivam (M. sc)

PDF Topology Notes (mem).pdf

48 pages • 17 MB • PDF

5:29 AM

Shivam (M. sc)

Topology Shivam.pptx
11 slides • 474 kB • PPTX

1:28 PM

~ 😌 +91 90982 97941

*Forwarded*

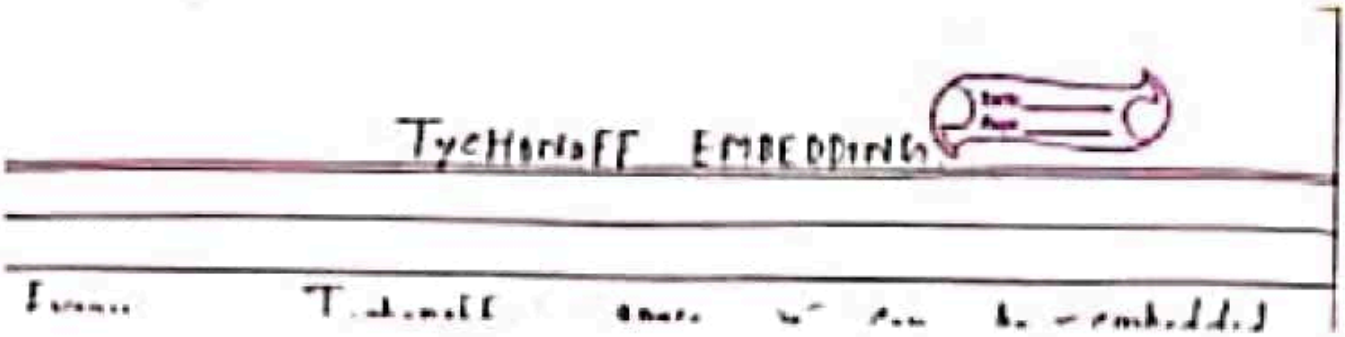

Kamlesh .pdf
2 pages • 0.97 MB • PDF

1:48 PM

63 pages • 27 MB • PDF

12:31 PM

May 11, 2023

**Wolfe's Method Solved Problem in Hindi-Wolfe's Mo...**

Wolfe's Method Solved Problem In ...

www.youtube.com

https://youtu.be/lutPKt-gtC4 1:02 PM

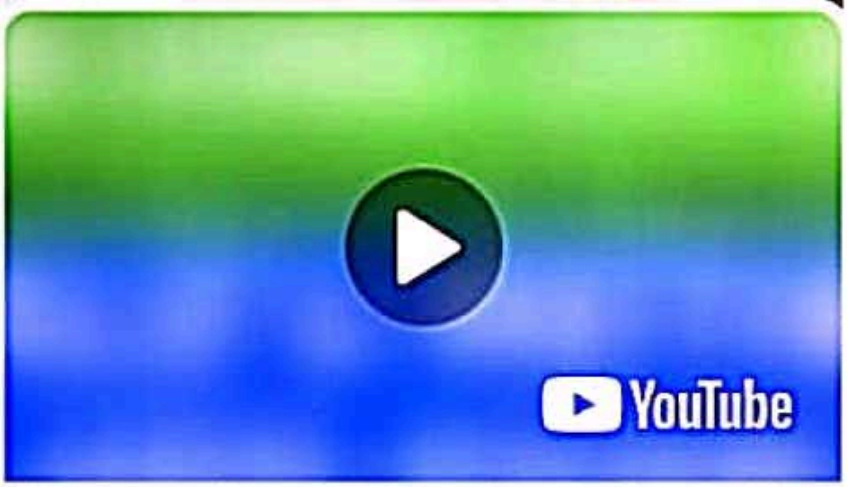


**Beale's Method In Hindi Quadratic Programming - Operation Research ...**

Beale's method for quadratic programmin...

www.youtube.com

https://youtu.be/zC7drTl_5WY

1:05 PM

May 21, 2023

Kya hua sabhi logo ka 1:31 PM

Message

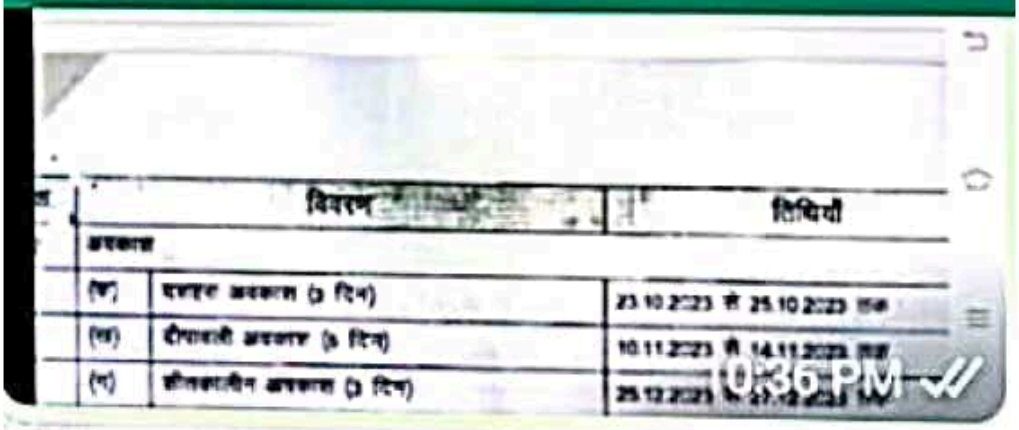

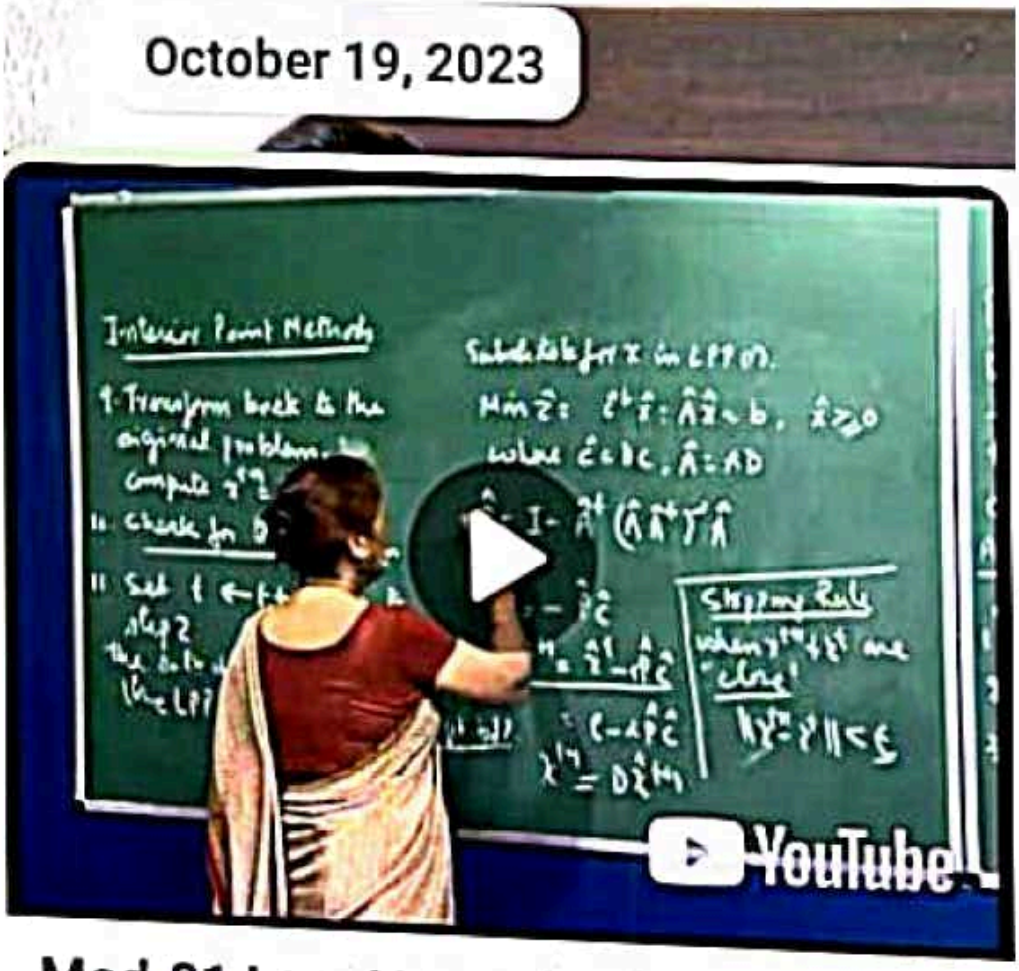

SC maths 3rd S...

n, Sarita Yadav (b., Shi...



| | विवरण | तिथियाँ |
|---|---|---|
| अवकाश | | |
| (क) | दशहरा अवकाश (3 दिन) | 23.10.2023 से 25.10.2023 तक |
| (ख) | दीपावली अवकाश (5 दिन) | 10.11.2023 से 14.11.2023 तक |
| (ग) | शीतकालीन अवकाश (3 दिन) | 25.12.2023 [illegible] |

10:36 PM

October 19, 2023




**Mod-01 Lec-40 Interior Point Methods**

Linear programming and Extensions by Pr...

www.youtube.com

https://youtu.be/JDgtqcsKleE?si=8WmnfVPSbiyTURv6

12:23 PM

~ Manish Thakur +91 6266 450 758

Yas maim ek notes mere pass hai

10:00 PM

May 11, 2023

~ 😌 +91 90982 97941

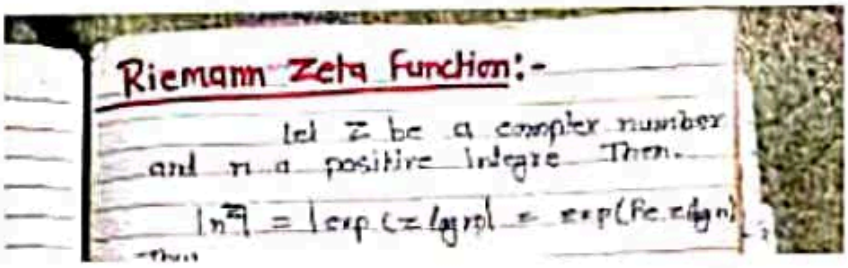


PDF mam complex note's 1-2 sem mix.pdf

30 pages • 33 MB • PDF

4:57 AM

~ 😌 +91 90982 97941

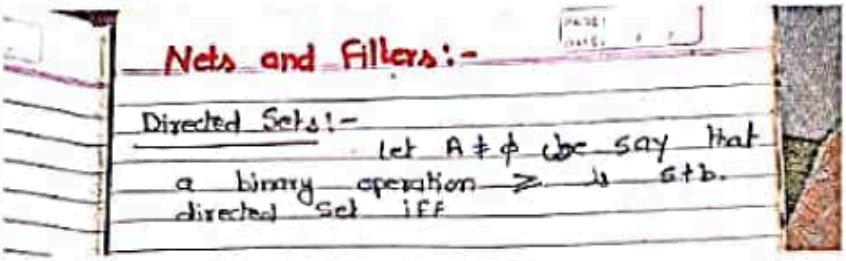


PDF mam Topology Note's.pdf

30 pages • 38 MB • PDF

4:58 AM

Mam aja collage aa sakte hai kya apka note's de dege or kuch

Message

**Lec-38 PG (Scaling Invariant sol**
**Barenblatt's Sol. of Porus mediu**

This lecture is having scaling invariant

www.youtube.com

https://youtu.be/6Vaks0NktQ

12:00 P

February 14, 2023

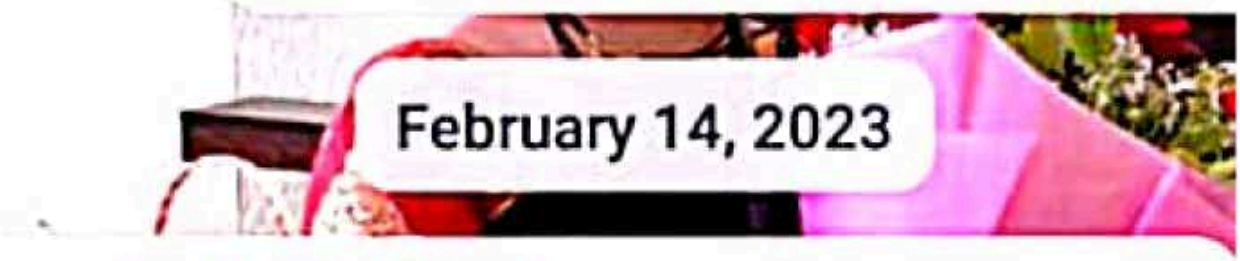

~ Laukesh Singh +91 89593 53841

PDF Classical mechanics.pdf

74 pages • 22 MB • PDF

1:07 PM

https://youtu.be/joep3NSe5P8

12:00 PM

YouTube

**Lec-41 PG (Bessel's Potential and fundamental solution of Heat e...**

Here we solve one PDE, in which we get th...

www.youtube.com

https://youtu.be/50c1mrO7n3I

12:00 PM

YouTube

**Lec-38 PG (Scaling Invariant solu. Or Barenblatt's Sol. of Porus medium e...**

This lecture is having scaling invariant sol...

www.youtube.com

https://youtu.be/6Vaks0NktO0

age